

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

संख्या : RAJ/NGR-109/Lst-10

दिनांक: 01/06/2022

प्रेषित (खान) एजेन्ट,
खेरवाड-रुपासर चूनापत्थर खान,
मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट-मूण्डवा,
जिला-नागौर- 341 026 (राज.)
Email: (l.shrimali@ambujacement.com)

विषय: Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Kherwad-Rupasar Limestone Mine (ML-03/94, Lease Area 635.00 hectare) in Nagaur district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 26/04/2022 by undersign in presence of Shri Lokesh Shrimali, Mine Manager and Shri Partha Sarathi Maji, Geologist of your company:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 29/11/2016 to the extent given below for the year 2021-22: (1) The mine development was proposed between grid lines N1150-N1350/E1100-E1500, whereas the mine development has been carried out between the grids N800-N1000/E1100-E1250. (2) The plantation was proposed between grid lines N1560-N1750/E1250-E1315, whereas the plantation work was carried out between the grids N600-N850/E1100-E1250.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारीसंक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भूवदीय
Prady
01/06/2022
(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिसूचनार्थप्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर, (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो